मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015-फाल्गुन 29, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. रीना उपाध्याय पुत्री श्री मुंशीलाल उपाध्याय अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 11 जुलाई, 2013 को श्री गौरव दण्डोतिया पुत्र श्री विशम्भर दयाल दण्डोतिया, निवासी भोज भवन, केशव कॉलोनी, मुरैना (म.प्र.) से सम्पन्न हो गया है. विवाह के पश्चात् मैं उपनाम परिवर्तन कर रही हूँ.

अत: अब मुझे समस्त दस्तावेजों में कु. रीना उपाध्याय के स्थान पर श्रीमती रीना दण्डोतिया पत्नी श्री गौरव दण्डोतिया के नाम से पढ़ा, लिखा एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रीना उपाध्याय)

पुत्री-श्री मुंशीलाल उपाध्याय

नया नाम :

(रीना दण्डोतिया)

पत्नी-श्री गौरव दण्डोतिया

निवासी—भोज भवन, केशव कॉलोनी,

मुरैना (म.प्र.).

(681-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता सतीष उम्र 24 वर्ष, पिता अनंतराम, निवासी खानापूर, तह. आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) का निवासी हूँ. मैं शपथकर्ता के दो नाम विजय कुमार एवं सतीष है तथा इन्हीं दोनों ही नामों मैं शपथकर्ता को जाना एवं पहचाना जाता है जबकि मैं शपथकर्ता के शालेय अभिलेख, राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेखों में मेरा नाम सतीष पिता अनंतराम अंकित है. मेरे पिता मध्य रेल्वे में गेटमेने के पद पर पदस्थ है. उनकी विभागीय अभिलेखों में मैं, शपथकर्ता का नाम त्रुटिवश विजय कुमार दर्ज हो गया है. अत: मैं, शपथकर्ता को आज से सभी गैर शासकीय, शासकीय सहित हर जगह सतीष पिता अनंतराम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(विजय कुमार)

नया नाम :

(सतीष)

पिता-अनंतराम.

(671-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रगति अवस्थी पुत्री श्री प्रमोद कुमार अवस्थी, निवासी-ए-12/8, बी. ओ. आर. एल. टाऊनशिप, पो.-बी. ओ. आर. एल. रेसीडेंसियल काम्प्लेक्स, बीना, जिला सागर (म.प्र.) एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरा पूर्व में नाम स्वीटी अवस्थी था. उस नाम को परिवर्तित कर प्रगति अवस्थी हो गया है एवं अब से मैं अपने परिवर्तित नाम से जानी-पहचानी जाऊँगी.

पुराना नाम :

(स्वीटी अवस्थी)

नया नाम :

(प्रगति अवस्थी)

(672-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नवीन्द्र कुमार चौरिया, आयु 40 वर्ष, जाति कोरी, निवासी शासकीय आवास उप जेल अशोक नगर, तहसील व जिला अशोकनगर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपने पुत्र व पुत्री का सरनेम (उपनाम) चौरिया से परिवर्तित कर वर्मा रख लिया है. अत: अब वर्तमान से मेरे पुत्र व पुत्री रौनक वर्मा एवं पुत्र अंश वर्मा के नाम से जाने व पहचाने जायेंगे. इनके सभी कार्यों में चाहे वो मौखिक या लिखित वोल चाल में हो सभी कार्यों में इनके नाम रौनक वर्मा पुत्री व अंश वर्मा पुत्र इन्हीं नाम से होंगे.

भवदीय

नवीन्द्र कुमार चौरिया,
(फार्मासिस्ट)
उप-जेल, अशोकनगर (म.प्र.).

(673-बी.)

CHANGE OF NAME

I, informed to all communities that it name earlier was Moti Lal Shere. I have changed my name from Moti Lal Shere. Residing at CM-II/88, M.I.G. Pandit Dindayal Upadhyay Nagar, Sukhliya Indore (M.P.) 452010, have change my name to Moti Lal Soni by affidavit swron before the Notary public on 07-02-2014. Henceforth I shall be known as Moti Lal Soni for all future purposes.

Old Name :

(MOTI LAL SHERE)

New Name :

(MOTI LAL SONI)
CM-II/88, M.I.G. Pandit Dindayal Upadhyay Nagar,
Sukhliya Indore (M.P.).

(674-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा कक्षा 10 एवं 12 की अंकसूची में कु. पंखुड़ी जेवियर पुत्री श्री सुनील जेवियर, माता प्रेमलता जेवियार लिखा है परन्तु मेरा वास्तविक नाम कु. पंखुड़ी सिंघल पुत्री स्व. श्री दिलीप सिंघल, माता प्रेमलता सिंघल है अब मुझे भविष्य में कु. पंखुड़ी सिंघल पिता स्व. श्री दिलीप सिंघल, माता प्रेमलता सिंघल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(कु. पंखुड़ी जेवियर)
पिता सुनील जेवियर,
माता प्रेमलता जेवियर.

नया नाम :

(कु. पंखुड़ी सिंघल)
पिता-स्व. श्री दिलीप सिंघल,
माता प्रेमलता सिंघल
निवासी—8-डी, मुस्कान इंडस परिसर,
आयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).

(677-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, उमा उर्फ गरिमा पिता सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का विवाह पश्चात् नाम रीमा पति विवेकवर्धन श्रीवास्तव हो गया है. अत: भविष्य में मुझे रीमा पति विवेकवर्धन श्रीवास्तव के नाम से ही सभी जगह जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(उमा उर्फ गरिमा)
पिता सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

नया नाम :

(रीमा)
पति विवेकवर्धन श्रीवास्तव,
एफ-4, ब्रजविहार टाउनशिप, खरगोन (म.प्र.).

(683-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Subrat Kumar Roy S/o Late Shri N.B. Roy state that my name has been wrongly printed as Subrato Roy in Place of Subrat Kumar Roy, in my eldest Son Saurav Roy's 10th Class grade sheet cum certificate of performance (Session 2011-13) issued by CBSE.

Please be noted that to rectify above said correction, I Subrat Kumar Roy, making an Oath before competent authority including taking other necessary actions.

Old Name :

(SUBRATO ROY)

New Name :

(SUBRAT KUMAR ROY)

Address—RB-IV/367/1, Railway Officers, Colony Near Railway Microwave Tower, Civil lines, Jabalpur (M.P.).

(678-B.)

CHANGE OF NAME

My name is Tiki Sara Thapa, But in my Son's Marksheet my name written Tikee Thapa. That's wrong, I want to correct it. Hnceforth I shall be known as Tiki Sara Thapa everywhere in my Son's documents.

Old Name :

(TIKEE THAPA)

New Name :

(TIKI SARA THAPA)

H.Q.Y. U. Wing Infantry School, Mhow, Distt-Indore (M.P.).

(680-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम ''दीपक कुमार सोनी'' अंकित है और मेरे पेन कार्ड, बैंकिंग दस्तावेजों में मेरा नाम ''दीपक जड़िया'' है. यह दोनों ही मेरे नाम हैं. भविष्य में मुझे दीपक जड़िया के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(दीपक कुमार सोनी)

नया नाम :

(दीपक जड़िया)

पता—म. नं. 187, चतेरी मोहल्ला छोटा बाजार, दरोगा वाली गली, दतिया (म.प्र.).

(682-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ए. पी. एस. मिनरल्स सागर पंजीकृत क्रमांक 06/12/01/00052/11, जुलाई 15 सन् 2011 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सागर में पंजीकृत है जिसमें कि श्री विनोद द्विवेदी, श्री अर्पित शर्मा भागीदार हैं. इसमें श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सतीश गोयल, श्री मोहित बिंदल को फर्म से जोड़ कर भागीदार बनाया गया है. सो विदित हो.

मेसर्स ए. पी. एस. मिनरल्स,

सतीश गोयल

(Partner)

लक्ष्मी निवास सिविल लाइन्स, छतरपुर (म.प्र.).

(675-बी.)

आम सूचना

मेरे व्यवहारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राज बिल्डर्स दिनांक 15 मार्च, 2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है. संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 21 फरवरी, 2011 से इस साझेदारी फर्म में निम्नलिखित व्यक्ति साझेदार के रूप में कार्यरत हैं. 1. राजेश सिंह, उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. श्री आर. के. सिंह, निवासी डी-13, विवेक विहार, ग्वालियर मध्यप्रदेश साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत, 2. राजेन्द्र उपाध्याय, आयु 50 वर्ष पुत्र श्री आत्माराम उपाध्याय, निवासी जी-28, साईड नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, फर्म में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत, 3. श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, आयु 38 वर्ष पुत्र श्री जगदीश सिंह राजपूत, निवासी समाधिया टीचर्स कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर फर्म में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत, 4. श्री उदय सिंह गुर्जर, आयु 43 वर्ष पुत्र श्री भगवान सिंह गुर्जर, निवासी सदर बाजार मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश फर्म में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत.

उपरोक्त साझेदार क्रमांक 3 एवं 4 द्वारा अपनी स्वेच्छा से साझेदारी फर्म से अलग होना व्यक्त किया है. जिसके कारण अब संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति उनके सम्मुख दर्शाये गये हिस्से के लिए उपरोक्त साझेदारी फर्म में साझेदार रह गये हैं.

1. राजेश सिंह पुत्र स्व. श्री आर. के. सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी डी-13, विवेक विहार, ग्वालियर साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी 62.5 प्रतिशत.
2. श्री राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री आत्माराम उपाध्याय, उम्र 50 वर्ष, निवासी जी-28, साईड नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी 37.5 प्रतिशत. हर आम व खास व्यक्ति सूचित हों.

अनिल भल्ला,
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
ए-7, द्वितीय तल, साँई अपार्टमेन्ट,
जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

(676-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, डाट कंसलटेंसी एण्ड इंजीनियरिंग्स, गुना (म.प्र.) में नये साझेदार श्रीमती जया सोनी 02 जुलाई, 2014 से सम्मिलित हो गई हैं तथा ब्रिजेश सोनी निवृत्त हो गये हैं.

मैसर्स डाट कंसलटेंसी एण्ड इंजीनियरिंग्स
मनोज सोनी,
सैक्टर-पी, म. नं.24, सिसोदिया कॉलोनी, गुना.

(679-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री श्वेताम्बर जैन तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट कार्यालय 4/2, रेसकोर्स रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री प्रकाश पिता श्री लालचंद बंगानी, निवासी 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री श्वेताम्बर जैन तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	:	4/2, रेसकोर्स रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (रु. ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

डी. के. नागेन्द्र,
रजिस्ट्रार.

(155)

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, पथरिया, जिला दमोह

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यह कि श्री बाबूलाल जैन बल्द श्री कन्छेदी लाल जैन, निवासी खड़ेरी, अध्यक्ष श्री कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर,

ग्राम खड़ेरी, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2015 के माह जनवरी के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	. .	श्री कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर, खड़ेरी बटियागढ़, जिला दमोह.
सम्पत्ति का विवरण	. .	1. मौजा खड़ेरी, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में रकवा 950 वर्गफीट.
		2. जिसमें मंदिर 950 वर्गफीट में है.
		3. चल सम्पत्ति करीबन 20,000 रुपये.

एन. एल. सामरथ,
अनुविभागीय अधिकारी.

(156)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह

प्रारूप-4

[देखें नियम-6 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास, जिला दमोह, क्रमांक क/सं. न्यास/21014, दमोह दिनांक 19 जनवरी, 2015.

प्र.क्र.03/ब-113 (1) 13-14

सरस्वती शिशु मंदिर, दमोह ने अपनी समिति की ओर से यह कि श्री देव गणेश मंदिर ट्रस्ट कमेटी, हिण्डोरिया, तहसील व जिला दमोह द्वारा श्री नारायण बल्द श्री चित्तर सिंह ठाकुर, उम्र 65 वर्ष अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा (प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए). उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

न्यास का नाम और पता	. .	ग्राम हिण्डोरिया में बांदकपुर रोड पर स्थित, श्री देव गणेश मंदिर, जिला दमोह.
चल-अचल सम्पत्ति का विवरण	. .	श्री देव गणेश मंदिर मौजा हिण्डोरिया, तहसील व जिला दमोह, स्थित खसरा नम्बर 1123/1 रकवा 0.166 एवं खसरा नम्बर 1123/2, कुल रकवा 1.380 हे. भूमि.

मनोज कुमार ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(157)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम,1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

यतः कि श्री अतुल मेहरोत्रा तनय प्यारे मोहन मेहरोत्रा, निवासी 49, मास्टर प्लान, सिविल लाइन सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25 मार्च, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	नीलम मेहरोत्रा मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, 49, मास्टर प्लान सिविल लाइन, जिला सतना मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5,00,000.00 (पांच लाख रुपये मात्र).

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, रमेश कुमार सिंह, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25 मार्च, 2015 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 25 मार्च, 2015 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

रमेश कुमार सिंह
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(158)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संचालक वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश

सूचित किया जाता है कि बॉयलर परिचर, नियम-2011 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी बॉयलर परिचर की प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रारूप-क) इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साइज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रारूप-क) की छायाप्रति भी मान्य होगी:-

परीक्षा का नाम	दिनांक	समय	परीक्षा स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम श्रेणी	27-29/04/2015	8 बजे से 1 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक	कार्यालय उप-संचालक वाष्पयंत्र टाईप-3/137/बी-सेक्टर, पिपलानी, बीएचईएल टाउनशिप, भोपाल, म.प्र.
द्वितीय श्रेणी	25-27/05/2015	तदैव	तदैव

पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन-पत्र (प्रारूप "क") के भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसमें से एक बॉयलर मालिक (फार्म-2 डी के अनुसार) एवं दूसरा संस्था के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है. बॉयलर मालिक (फार्म-2 डी के अनुसार) संस्था

का प्रमुख होने की स्थिति में बॉयलर इंचार्ज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जावें. राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ''सेवा तथा चरित्र प्रमाण-पत्र'' को उपरोक्त के अतिरिक्त उस राज्य के निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है.

परीक्षार्थी के आवेदन-पत्र सचिव, बॉयलर परिचर परीक्षक मण्डल, कार्यालय संचालक वाष्पयंत्र, 60, बक्षी बाग, इन्दौर-452006 (म.प्र.) में नियम तिथि 25 मार्च, 2015 तक परीक्षा शुल्क रुपये 500/- प्रथम श्रेणी के लिए एवं रुपये 300/- द्वितीय श्रेणी के लिए चालान मध्यप्रदेश में स्थित कोषालय में लेखाशीर्ष 0230-श्रम तथा रोजगार, 103-भाप बॉयलरों का निरीक्षण शुल्क मध्यप्रदेश राज्य, के अंतर्गत जमा कर चालान की मूल प्रति एवं अन्य सहपत्रों (दिशा निर्देश देखें) के साथ या उसके पूर्व भारतीय डाक विभाग के पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए. कोरियर, व्यक्तिगत या अन्य किसी माध्यम से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

प्रथम वर्ग बॉयलर परिचर अभ्यार्थियों के लिए अपेक्षित उम्र, अर्हताएं और अनुभव—

प्रथम वर्ग बॉयलर परिचर के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी, 2015 को 20 वर्ष से अन्यून न होगी और वह द्वितीय वर्ग का प्रमाण-पत्र धारक हो और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक की वह:-

(क) द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ बॉयलर परिचर के रूप में किसी बॉयलर के एकल भारसाधक के रूप में जिसकी रेटेड उष्मित सतह पचास वर्गमीटर से अन्यून नहीं है के भारसाधक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा न की हो, या

(ख) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान के प्रमुख से कोई प्रमाण-पत्र की उसने तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा किया है जिसमें से एक वर्ष उसने किसी मिल, कारखाने या किसी इंजीनियरी वर्कशाप जहाँ इंजन और बॉयलर की मरम्मत या निर्मित किए जाते हैं में प्रशिक्षुता की है और इसके साथ उसने द्वितीय वर्ग बॉयलर परिचर के सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ 50 वर्गमीटर उष्मित क्षेत्र से अन्यून किसी बॉयलर के एकल कार्यकारी व्यवहार के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा की है का प्रमाण-पत्र देता है, या.

(ग) पचास वर्ग मीटर से अधिक उष्मित सतह रखने वाले किसी बॉयलर पर प्रथमवर्ग बॉयलर परिचर के प्रभार के अधीन द्वितीय वर्ग बॉयलर परिचर सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ फायरमैन या सहायक फायरमैन के रूप में दो वर्ष से अन्यून कार्य किया है.

द्वितीय वर्ग बॉयलर परिचर अभ्यार्थियों के लिए अपेक्षित उम्र, अर्हताएं और अनुभव—

द्वितीय वर्ग के किसी बॉयलर परिचर के रूप में सक्षमता के प्रमाण-पत्र के लिए कोई अभ्यार्थी 01 जनवरी, 2015 को 18 वर्ष की उम्र से अन्यून नहीं होगा और वह परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक की वह:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मेट्रिकुलेशन किया या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न हो ; और

(ख) और उसने वाष्प बॉयलर पर फायरमैन या प्रचालक या सहायक फायरमैन या सहायक प्रचालन के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा की हो ; या

(ग) किसी फिटर के रूप में जहाँ बॉयलर विनिर्मित या परिनिर्मित प्रचालित या मरम्मत होते हैं में तीन वर्ष से अन्यून सेवा की हो इसके साथ एक वर्ष से अन्यून सहायक फायरमैन के रूप में सेवा की हो ; या

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र धारक की दशा में लघु उद्योग बॉयलर पर दो वर्ष से अन्यून अनिवार्य रूप से सेवा की हो.

पी. डी. दीक्षित,
अध्यक्ष,
बॉयलर अटेंडेंट परीक्षक मण्डल,
मध्यप्रदेश, इंदौर.

(154)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की

शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तिव आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कवाणा.	महेश्वर	1245/29-02-2000	1099/27-07-2010	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडवेल.	महेश्वर	1068/03-01-1997	1328/07-10-2013	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
3.	फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, करही.	महेश्वर	1294/27-06-2001	878/12-06-2006	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.
4.	प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंधावड.	सेगांवा	1030/06-01-1996	1704/01-10-2002	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेगांवा.	सेगांवा	1251/27-03-2000	1331/07-10-2013	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
6.	सेंचुरी मिल वर्क्स साख सहकारिता मर्यादित, सत्राटी.	कसरावद	69/23-03-2005एवं संशोधित पंजी. क्र. 1771/10-03-2014.	1274/28-09-2013	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
7.	प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोनीपुरा.	खरगोन	942/23-10-2002	1704/01-10-2002	श्री बी. एल. सोलंकी, स. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(159)

कार्यालय परिसमापक श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., मोठापुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन

दिनांक 02 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., मोठापुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 159, दिनांक 19 मई, 2008 है को उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/121, खरगोन, दिनांक 31 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत मैं, महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक खरगोन एवं परिसमापक श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., मोठापुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

महेन्द्र ठाकुर,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(160)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[म. प्र. सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग मुरैना के आदेश क्रमांक/विधि/2015/194, मुरैना, दिनांक 04 फरवरी, 2015 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का सहकारी

समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर शासकीय समानुदेशी नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	समानुदेशी नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदर्श तिल उद्योग दत्तपुरा, मुरैना	367/10-01-1995	194/04-02-2015
2.	तिलहन उत्पादक, चुरैल	956/31-03-1986	194/04-02-2015
3.	जिला फल, साग-भाजी, मुरैना	155/06-01-1990	194/04-02-2015
4.	खनिज उद्योग, कुतवार	515/17-11-1981	194/04-02-2015
5.	पिछड़ा वर्ग मछुआ मत्स्य काजी, वसई	1189/25-06-2002	194/04-02-2015

उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाना है, अत: हितबद्ध व्यक्ति संस्थाओं या जो इनसे लेन-देन रखता हो इस संस्था से कोई लेनदारी-देनदारी आपत्ती है तो अपना दावा सूचना-पत्र प्रकाशन तिथि से 60 दिवस के अंदर मुझे या कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं चम्बल भवन, ए.बी.रोड मुरैना में कार्यालयीन समय में आवक/जावक कक्ष में प्रस्तुत करे, निर्धारित तिथि के पश्चात् दावा, आपत्ती, क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा व लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण किया जावेगा.

वाई. पी. श्रीवास्तव,
समानुदेशी सहकारी निरीक्षक.

(161)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[म. प्र. सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर शासकीय समानुदेशी नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	समानुदेशी नियुक्त आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	मथुरा देवी महिला बहु. सहकारी संस्था, गोल्हरी	AR/MNA/1213/09-03-2004	क्र./विधि/2015/196 04-02-2015.
2.	विजयानन्द महिला बहु. सह. संस्था दीपेहरा	AR/MNA/1262/21-07-2004	क्र./विधि/2015/196 04-02-2015.
3.	प्राथ. साख सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़	AR/MNA/1355/08-09-1987	क्र./विधि/2015/196 04-02-2015.
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, पासोनदम	AR/MNA/1280/30-09-2004	क्र./विधि/2015/196 04-02-2015.
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, बनबारा	AR/MNA/1268/12-08-2004	क्र./विधि/2015/196 04-02-2015.

उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाना है, अत: हितबद्ध व्यक्ति संस्था या जो इनसे लेन-देन रखता हो इस संस्था से कोई लेनदारी-देनदारी आपत्ती है तो अपना दावा सूचना-पत्र प्रकाशन तिथि से 60 दिवस के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं चम्बल भवन, ए.बी.रोड मुरैना में कार्यालयीन समय में आवक/जावक कक्ष में प्रस्तुत करे, निर्धारित तिथि के पश्चात् दावा, आपत्ती, क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा व लेनदारी/देनदारी का अन्तिम निराकरण किया जावेगा.

लोकेश शर्मा,
समानुदेशी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(162)

कार्यालय परिसमापक भू-अभिलेख एवं राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/190.—भू-अभिलेख एवं राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 613, दिनांक 01 जून, 1994 है, को उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1055, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के, यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. भट्ट,
परिसमापक.

(163)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 10 फरवरी, 2015

[म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./02.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश कमांक/परिसमापन/2014/1192, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सतना पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना	213/30-09-1995	1192/10-12-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/संस्था के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजीव कुमार श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(164)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 04 फरवरी, 2015

[म. प्र. सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/01.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त

किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	स्टेशनरी कॉपी निर्माता सहकारी समिति मर्या., सतना	616/27-08-1981	1196/10-12-2014
2.	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी समिति मर्या., महदेवा सतना	207/27-07-1995	1195/10-12-2014
3.	हरिजन आदिवासी पत्थर, पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी.	248/19-04-1996	1201/10-12-2014
4.	पत्थर पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., गीहरा	256/07-09-1996	1200/10-12-2014
5.	स्टेशनरी सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना	197/30-09-1997	1198/10-12-2014
6.	स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कृष्णनगर सतना	609/20-04-1981	1197/10-12-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस)में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

राजेश अग्रवाल,
सहकारी निरीक्षक.

(165)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 07 फरवरी, 2015

[म. प्र. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	गायत्री यातायात सहकारी समिति मर्या., सुभाष चौक, सतना	524/11-05-2005	1194/10-12-2014
2.	इन्दिरा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सतना	283/05-02-1988	1193/10-12-2014
3.	हनुमान ईंट उद्योग सहकारी समिति मर्या.,टिकरियाटोला सतना	593/08-07-1986	1199/10-12-2014
4.	महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., शास्त्रीचौक सतना	157/31-12-1994	1236/10-12-2014
5.	महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., धवारी, सतना	152/31-12-1994	1235/10-12-2014
6.	महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार वार्ड क्र.1, सतना	138/01-11-1994	1234/10-12-2014
7.	द. एज्युकेशन स्टाफ स्टूडेन्ट को. आ. स्टोर मर्या., सतना	573/14-11-1972	1232/10-12-2014
8.	प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बांधवगढ़ कॉलोनी सतना.	136/01-11-1994	1231/10-12-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण

कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

रमेश कुमार गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(166)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

दिनांक 29 जनवरी, 2015

[म. प्र. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जनता मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना	577/13-06-1966	1202/10-12-2014
2.	आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., सतना	636/30-12-1985	1203/10-12-2014
3.	आशीर्वाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सतना	540/25-08-2007	1204/10-12-2014
4.	लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सिन्धी कैम्प सतना	534/24-04-2007	1205/10-12-2014
5.	सेन्ट्रल रेल्वे वेंडर्स कामगार सहकारी संस्था मर्या., सतना.	565/17-10-2003	1206/10-12-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

के. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(167)

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन

खरगोन निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 41 ग्रामों के वर्तमान भूमि-उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2015 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्तियां, सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किये गये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अंतर्गत एतद्द्वारा उक्त 3 ग्रामों के भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं और उसकी एक प्रति दिनांक 23 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :-

1. आयुक्त, इंदौर, संभाग इंदौर.
2. कलेक्टर, जिला खरगोन.
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खरगोन.
4. नगरपालिका परिषद्, कार्यालय खरगोन.

अनुसूची

खरगोन निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 41 अतिरिक्त ग्रामों की सूची

जिला खरगोन .. (1) मेनगॉव, (2) पिपराटा, (3) भाडली, (4) फाजिलपुरा, (5) बरदीया, (6) दारापुर,

(7) सिरपुर, (8) बिरोठी, (9) रणगॉव, (10) बहादरपुरा, (11) मनावर, (12)जमशेदपुरा, (13) खेडी बुजुर्ग, (14) सिनखेडा, (15) आदमपुरा, (16) मोमिनपुरा, (17) मुकलीसपुरा, (18) चौडी, (19) वणार, (20) सांगवी, (21) खतवास, (22) महुकुण्डिया, (23) भसनेर, (24) हीरापुर, (25) जामला, (26) मागरिया, (27) खेडीखानपुरा, (28) तुकलाबाद, (29) सोनीपुरा, (30) बिजलगॉव बुजुर्ग, (31) नवाबपुरा, (32) बलवाडी, (33) बेलमार, (34) मांगरूल बुजुर्ग, (35) मांगरूल खुर्द, (36) बीड बुजुर्ग, (37) बिजलगॉव खुर्द, (38) बडगॉव, (39) मेहरजा, (40) डाबरिया, (41) राजपुरा.

वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकरण सम्बन्धी सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (4) अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि, मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिये गये हैं.

अशोक वासुनिया,
सहायक संचालक.

(171)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/313.—यह कि जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिन्दोड़ी इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./1807, दिनांक 21 नवम्बर, 1996 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त किये जाने के आवेदन-पत्र दिये जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/4906, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक स्थिति विवरण का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर के माध्यम से कराया गया. उनके द्वारा निरंक स्थिति विवरण की अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियों/देनदारियों का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिन्दोड़ी इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./1807, दिनांक 21 नवम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत जगदम्बा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिन्दोड़ी इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./1807, दिनांक 21 नवम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(168)

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/312.—यह कि फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसनावदा, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./836, दिनांक 24 जनवरी, 2002 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त किये जाने के आवेदन-पत्र दिये जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/4906, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक स्थिति विवरण का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर के माध्यम से कराया गया. उनके द्वारा निरंक स्थिति विवरण की अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियों/देनदारियों का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसनावदा, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./836, दिनांक 24 जनवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसनावदा, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./836, दिनांक 24 जनवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(168-A)

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/311.—यह कि माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./823, दिनांक 24 अगस्त, 2002 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त किये जाने के आवेदन-पत्र दिये जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/4906, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक स्थिति विवरण का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर के माध्यम से कराया गया. उनके द्वारा निरंक स्थिति विवरण की अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियों/देनदारियों का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./823, दिनांक 24 अगस्त, 2002 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत माँ दुर्गा फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./823, दिनांक 24 अगस्त, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(168-B)

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/310.—यह कि फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गारीपिपल्या, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./818, दिनांक 23 जुलाई, 2001 को संस्था द्वारा उसके अकार्यशील होने से पंजीयन निरस्त किये जाने के आवेदन-पत्र दिये जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 के अन्तर्गत क्रमांक/परिसमापक/4906, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 से परिसमापन आदेश जारी किया गया था एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक को परिसमापक बनाया गया था.

परिसमापक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारिता निरीक्षक द्वारा समिति के परिसमापन की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाने के पश्चात् उनके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन में संलग्न संस्था के निरंक स्थिति विवरण का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) इन्दौर के माध्यम से कराया गया. उनके द्वारा निरंक स्थिति विवरण की अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है जिससे की स्पष्ट है कि संस्था की समस्त लेनदारियों/देनदारियों का निराकरण हो चुका है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही एवं पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गारीपिपल्या, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./818, दिनांक 23 जुलाई, 2001 का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गारीपिपल्या, जिला इन्दौर, पंजीयन क्र./डी.आर./आय.डी.आर./818, दिनांक 23 जुलाई, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(168-C)

इन्दौर, दिनांक 21 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (ए/क) (1), (2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/227.—यह कि केसरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आई./आय. डी. आर./922, दिनांक 12 फरवरी, 2003 है, का जिस प्रयोजन के लिये पंजीयन किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था के सभी 21 सदस्यों को कार्यालय से "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2014/2290, दिनांक 30 जून, 2014 जारी किया जाकर उसका प्रत्युत्तर 30 दिवस में चाहा गया था. कि जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. अत: क्यों न संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

विधि अनुसार सूचित होने के बाद संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त "कारण बताओ सूचना-पत्र" के प्रति उत्तर में संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब देते हुए, सभी सदस्यों द्वारा दिये पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर सूचित किया गया कि संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 30 जून, 2013 एवं 24 सितम्बर, 2013 एवं 1 जून, 2014 की साधारण सभा में भी सर्वानुमति से निर्णय लिया गया था कि संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाये. सभी सदस्यों के आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए कि संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यावाही की जाये. इससे मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था के सभी सदस्य संस्था का पंजीयन समाप्त कराना चाहते हैं.

अत: मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो रही है. इसलिये संस्था का अस्तित्व में बने रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केसरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (2) के अन्तर्गत श्री प्रमोद तोमर, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(168-D)

इन्दौर, दिनांक 21 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 18 (ए/क) (1), (2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/226.—यह कि शिवानु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर./839, दिनांक 06 मार्च, 2002 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

संस्था के सभी 20 सदस्यों को कार्यालय से "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2014/4105 इन्दौर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 जारी किया जाकर उसका प्रत्युत्तर 30 दिवस में चाहा गया था. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. अत: क्यों न संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

विधि अनुसार सूचित होने पर संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त "कारण बताओ सूचना-पत्र" के प्रति उत्तर में संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब देते हुए, सभी सदस्यों द्वारा दिये पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर सूचित किया गया कि संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 25 मार्च, 2012 एवं आमसभा दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 में भी सर्वानुमाति से निर्णय लिया था कि संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. सभी सदस्यों के आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुए कि संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यावाही की जाये. इससे मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था के सभी सदस्य संस्था का पंजीयन समाप्त कराना चाहते हैं.

अत: मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. जिससे संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवानु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इंदौर , जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./आय. डी. आर./839, दिनांक 06 मार्च, 2002 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (2) के अन्तर्गत श्री मनोज मौर्य, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्ति कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त सहकारिता.

(168-E)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/134.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि आजाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खजुराहो द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1662, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था तथा सूचना-पत्र लीड समिति विपणन सहकारी समिति मर्या., राजनगर के माध्यम से तामीली हेतु प्रेषित किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. विपणन समिति के प्रबंधक द्वारा यह टीप अंकित की गई है कि उक्त संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है न ही कोई कार्यालय है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2057, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया

गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र की पावती इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. संस्था के वर्तमान प्रशासक द्वारा भी यह लेख किया गया है कि उक्त संस्था का कोई कार्यालय स्थापित नहीं है न ही पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की कोई जानकारी उपलब्ध हो पा रही है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, आजाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खजुराहो को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. के. बुधौलिया, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री बुधौलिया संस्था के प्रशासक के प्रभार से मुक्त रहेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/135.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बक्स्वाहा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1663, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला छतरपुर द्वारा जिले के सभी उपभोक्ता भण्डारों के पंजीकृत कार्यक्षेत्र, संचालित दुकान, अध्यक्ष का नाम, प्रबंधक का नाम, बिक्रेता का नाम एवं कार्यशील पूँजी आदि की जानकारी चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्र./पी.डी.एस./1367, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जानकारी चाही गई थी. लेकिन उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2068, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया

गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, माँ शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बक्स्वाहा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री प्रमोद कुमार खरे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-A)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/136.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि जी. टी. सी. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नौगांव द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1682, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2079, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जी. टी. सी. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नौगांव को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-B)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/137.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि पूजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नौगॉव द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1683, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला छतरपुर द्वारा जिले के सभी उपभोक्ता भण्डारों के पंजीकृत कार्यक्षेत्र, संचालित दुकान, अध्यक्ष का नाम, प्रबंधक का नाम, बिक्रेता का नाम एवं कार्यशील पूँजी आदि की जानकारी चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्र./पी.डी.एस./1367, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जानकारी चाही गई थी. लेकिन उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2078, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, पूजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नौगॉव को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-C)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/138.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महाराजपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1689, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2077, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महाराजपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-D)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/139.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि मार्तण्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1685, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2074, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मार्तण्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-E)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/140.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ बघराजन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के

लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1687, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला छतरपुर द्वारा जिले के सभी उपभोक्ता भण्डारों के पंजीकृत कार्यक्षेत्र, संचालित दुकान, अध्यक्ष का नाम, प्रबंधक का नाम, बिक्रेता का नाम एवं कार्यशील पूँजी आदि की जानकारी चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्र./पी.डी.एस./1367, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जानकारी चाही गई थी. लेकिन उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2072, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, माँ बघराजन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गढीमलहरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-F)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/141.—राधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नौगाँव (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) का नवीन उपविधियाँ अंगीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्र./पंजी./संशो./2014/630, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-12 (1) के तहत् अध्यापेक्षा पत्र जारी किया जाकर संस्था के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था. लेकिन उक्त रजिस्टर्ड डाक इस कार्यालय को दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को वापस प्राप्त हो गयी है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और ना ही कार्यशील है.

संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की अंकेक्षण टीपों से स्पष्ट है कि संस्था अकार्यशील है तथा संस्था कार्य करने में सक्षम नहीं है.
4. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप पंजीयन दिनांक से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारम्भ नही किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है.

उक्त के सम्बन्ध में संस्था के संचालक मण्डल को सहकारी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/1249, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है. संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, राधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नौगाँव को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-G)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/142.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि नेशनल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1681, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2061, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, नेशनल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-H)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/143.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि ओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1674, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2062, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर ओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-I)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/144.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1680, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2060, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत

पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-J)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/145.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि सिद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1676, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2058, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, सिद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-K)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/146.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि खजुराहो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 14 नवम्बर, 2005 द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1675, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2057, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर खजुराहो प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छतरपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-L)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/147.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि लोकहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1665, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2063, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर लोकहित प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-M)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/148.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये

आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1666, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2064, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-N)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/149.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सरबई द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा

जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके. लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1670, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2067, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सरबई को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री नमामी शंकर अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-O)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/150.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि इन्द्रागाँधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के

कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1667, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2065, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, इन्दिरा गाँधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री नमामी शंकर अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-P)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/151.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि जनदर्शन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1678, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक

27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2066, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जनदर्शन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बारीगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री नमामी शंकर अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-Q)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/152.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि जनजागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अत: उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1657, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2052, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, जनजागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री राजीव कुमार सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-R)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/153.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सटई द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आम सभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1658, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.

3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.

5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2056, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा

एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है. संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सटई को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री राजीव कुमार सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169-S)

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के तहत्]

क्र./परि./2015/154.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, छतरपुर द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि शुभम् प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आमसभा का प्रस्ताव आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण भण्डार के अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो सका है न ही यह ज्ञात हो सका है कि भण्डार द्वारा किस अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जा रहा है. जबकि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार सहकारी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण कराना संस्था का वैधानिक दायित्व है. नये संशोधनों में यह भी प्रावधानित किया गया है कि संस्था के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था आमसभा द्वारा की जावेगी. संस्था को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह पंजीयक द्वारा जारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पेनल से अथवा विभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण करवा सकेगी तथा इसकी सूचना आमसभा के प्रस्ताव के साथ सहायक पंजीयक अंकेक्षण को प्रस्तुत करेगी.

उक्त के सम्बन्ध में गतवर्ष माह अगस्त, सितम्बर, 2013 में संस्था को यह सूचित किया गया था. कि संस्था की आमसभा 30 सितम्बर, 2013 के पूर्व आयोजित की जाकर वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर आमसभा के कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा. ताकि यदि विभाग द्वारा अंकेक्षण कराया जाना है तो अंकेक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सके लेकिन लगभग एक वर्ष का समय समाप्त होने के उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति का आमसभा का निर्णय इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं 56 का स्पष्ट उल्लंघन है. अतः उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/विधि/भण्डार/2014/1659, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाकर दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु आमसभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला छतरपुर द्वारा जिले के सभी उपभोक्ता भण्डारों के पंजीकृत कार्यक्षेत्र, संचालित दुकान, अध्यक्ष का नाम, प्रबंधक का नाम, बिक्रेता का नाम एवं कार्यशील पूँजी आदि की जानकारी चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्र./पी.डी.एस./1367, दिनांक 05 अगस्त, 2014 के द्वारा जानकारी चाही गई थी. लेकिन उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं. इससे यह स्पष्ट है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.

स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

उक्त के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/परि./2014/2053, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के द्वारा जारी किया जाकर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के संचालक मण्डल को भेजा गया था तथा

एक माह के अंदर उत्तर चाहा गया था. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था के सदस्यों की संस्था में कोई रुचि नहीं है. संस्था को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापिस प्राप्त हो गया है. इससे यह प्रमाणित होता है कि संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है और न ही कार्यशील है तथा संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के उपबंधों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, शुभम् प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बिजावर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री राजीव कुमार सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(169-T)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

प्रजापती कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 01 मई, 1995)

क्र./परि./2014/74.—सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170)

धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

उर्बसी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1089, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001)

क्र./परि./2014/75.—सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 26 सितम्बर, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
रैदास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर बि. ख. निसरपुर,
तहसील कुक्षी, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
हरिओम बीज सहकारी संस्था मर्या., डेहरी (कुक्षी)
तहसील कुक्षी, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
माँ गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द,
विकासखण्ड नालछा, तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 12 जुलाई, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/हिरालाल-रणछोड़ सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
धाकड कृषि उत्पादक क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद,
पो. राजोद, श्री राम मंदिर, तहसील सरदारपुर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 09 फरवरी, 1998)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे

मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-G)

धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर पो. पिथमपुर,
वि. ख. नालछा, तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 14 मार्च, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/महादेव-बाबूलाल सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
रेवा कमागार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी, पो. पिपलदा गड़ी,
तहसील धारमपुरी, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 12 जून, 1995)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोडिया, पो. घटगारा,
तहसील बदनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 17 अप्रैल, 1978)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
जन सेवक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बगड़ी,
वि. ख. नालछा, तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 23 जून, 1999)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/श्रीमती सरोज राठौर सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धायनोद,
तहसील धरमपुरी, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 21 मार्च, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे

मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अंकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-L)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/वासुदेव बालाराम पाटीदार सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
स्वास्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद,
तहसील बदनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 12 जून, 2009)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/जयराम टिकम सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
माँ नर्मदा सामूहिक उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर,
तहसील मनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 06 जून, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाड़ा,
वि. ख. तिरला, तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

करण सिंह/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
माँ दुर्गा अजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझीरी,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बाकानेर, वि. ख. उमरबन,
तहसील मनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 15 मार्च, 1985)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे

मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-Q)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/श्रीमती मायाम्हाले सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
माँ शारदा रेडिमेड सिलाई एवं वस्त्रद्योग एवं गृहउद्योग सहकारी
संस्था मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 जून, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-R)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय, वि. ख. नालछा,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-S)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
शा. महाविद्यालय कर्म. परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., धार,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 01 सितम्बर, 1969)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-T)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पटलाबद,
वि. ख. उमरबन, तहसील मनावर, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 950, दिनांक 03 अक्टूबर, 1994)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-U)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
शा. कर्म. प्रा. उ. भ. सहकारी संस्था मर्या., धार,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 19 अगस्त, 1964)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1826, धार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिण्डा, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 23 जनवरी, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध संयंत्र इंदौर क्षेत्र धार एवं सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिण्डा, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1830, धार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरजापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध संयंत्र इंदौर क्षेत्र धार एवं सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध

उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरजापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1747, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार वस्त्रोद्योग रंगाई छपाई सहकारी संस्था मर्या., पंधानिया, तह. धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 24 जून, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की वस्त्रोद्योग रंगाई छपाई सहकारी संस्था मर्या., पंधानिया, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(170-Y)

निविदा सूचनाएं

चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु वर्ष 2015-16 के लिये 1. गेहूँ अच्छी किस्म का शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त न होने पर, 2. चावल, 3. शक्कर, 4. दाल अरहर कानपुरी, 5. दाल मूंग छिलका रहित, 6. खाद्य तेल, 7. धनिया पिसा, 8. हल्दी पिसी, 9. मिर्च पिसी, 10. जीरा खड़े, 11. गरम मशाला खड़ा, 12. नमक पिसा आयोडीन युक्त, 13. लकड़ी जलाऊ, 14. सब्जी, 15. मौसमी फल, 16. डबल रोटी, 17. दूध सांची का उपलब्ध न होने पर. यदि खाद्य सामग्री प्रदाय करने हेतु दिनांक 27 मार्च, 2015 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन उपस्थित निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की नियम एवं शर्तें तथा विस्तृत जानकारी दिनांक 17 मार्च, 2015 से नगद 100/- रुपये का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

नोट—इस निविदा से सम्बन्धित शर्तें कार्यालय समय में क्षय चिकित्सालय, नौगांव से प्राप्त करें.

बी. के. मिश्रा,
अधीक्षक,
क्षय चिकित्सालय, नौगांव,
जिला छतरपुर.

(172)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015-फाल्गुन 29, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के उज्जैन, बैतूल, जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील खाचरौद, तराना, बड़नगर (उज्जैन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, आठनेर (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुलताई (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, धार, भोपाल, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, झाबुआ, धार, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दतिया, अनूपपुर, सीहोर, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में फसल धान व बुरहानपुर में सोयाबीन व पन्ना, कटनी, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, उमरिया, विदिशा, नरसिंहपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर : 1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढौरा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना, मक्का समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला गुना : 1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला टीकमगढ़ : 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छतरपुर : 1. लोण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		सरसों कम. चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मूँग, उड़द, अरहर, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	है.	रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अरहर, राई-सरसों, अलसी अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		सोयाबीन कम. तिल समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .	चालू है.	4. (1) राई, सरसों, अलसी, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिंहावल	. .		मटर, जौ, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ अधिक. चना, रायडा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	8.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	17.0				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	5.2				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	. .	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार,बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी व सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तेवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		धान, तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		मूँगफली, तिल, गन्ना समान.		
4. गौहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	0.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	13.2				
4. चिचोली	7.2				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	23.0				
7. आठनेर	6.5				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	फसलों की कटाई का	4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कार्य चालू है.	गेहूँ , जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, शहडोल, नीमच, रतलाम, देवास, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(153)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.